भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1355

(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

तेलंगाना में पीएमएवाई जी के अंतर्गत परिवार

1355. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत तेलंगाना में स्वीकृत और निर्मित घरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में तेलंगाना के लिए पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त राज्य में इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों की जिलावार कुल संख्या क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग): तेलंगाना राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए 70,674 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया था और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2016-17 के लक्ष्यों की तुलना में केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 190.79 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई थी। यद्यपि, तेलंगाना राज्य ने पीएमएवाई-जी योजना को लागू नहीं किया और भारत सरकार को 190.79 करोड़ रुपये की राशि वापस कर दी है। अत: पिछले तीन वर्षों के दौरान तेलंगाना के लिए पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। इसके अलावा, राज्य ने जनवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान आवास+ 2018 सर्वेक्षण नहीं करवाया था और इसलिए राज्य में पीएमएवाई-जी के तहत पात्र परिवारों की पहचान नहीं की जा सकी। इस

प्रकार, वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य को कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किया जा सका।

तथापि, तेलंगाना सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में पीएमएवाई-जी को लागू करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। वर्तमान में यह मंत्रालय राज्य में चेहरा आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए आवास+2024 सर्वेक्षण आयोजित करने में राज्य को सुविधा प्रदान कर रहा है।

****